भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-172

उत्तर देने की तारीख-04/12/2023

एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तकों में चुनावी साक्षरता संबंधी विषय-वस्तु को शामिल किया जाना

†172. श्री विजयकुमार उर्फ **विजय वसंत:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) चुनावी साक्षरता संबंधी विषय-वस्तु को शामिल करने के लिए पाठ्यपुस्तकों को शुरू करेगी और उन्हें अद्यतन करेगी;
(ख) क्या यह भी सच है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने राज्य शिक्षा बोर्डों और अन्य बोर्डों को इसका अनुसरण करने की सलाह दी है;
(ग) क्या यह भी सच है कि उक्त उपाय निर्वाचन आयोग और सरकार के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का हिस्सा है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क) से (घ): राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) द्वारा तैयार स्कूल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (एनसीएफ-एसई), 2023 में चुनावी साक्षरता संबंधी सामग्री तैयार करने के लिए निम्नलिखित पाठ्यचर्या लक्ष्य शामिल हैं:

i. सीजी-5- भारतीय संविधान को समझता है और भारतीय लोकतंत्र के मूल तत्व और लोकतांत्रिक अभिशासन की विशेषताओं के बारे में पता लगाता है (पृष्ठ 329, एनसीएफ-एसई 2023)

ii. सीजी-8- भारत के संविधान के विकास की प्रक्रिया को समझता है और उसकी सराहना करता है और भारतीय समाज में लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए इसके महत्व को बनाए रखता है (पृष्ठ-327, एनसीएफ-एसई 2023)

इसके साथ-साथ, एनसीईआरटी की मौजूदा सामाजिक विज्ञान: राजनीति विज्ञान पाठ्यपुस्तकें, कक्षा IX के लिए लोकतांत्रिक राजनीति I और कक्षा X के लिए लोकतांत्रिक राजनीति II में मतदाताओं की शिक्षा और चुनावी साक्षरता से संबंधित सामग्री शामिल है। इसके अलावा, एनसीईआरटी ने हाल ही में दो मॉड्यूल तैयार किए हैं जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया और मतदाताओं की शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने वाले विशेष पाठ्यक्रम मॉड्यूल की हाल ही में शुरू की गई श्रृंखला का हिस्सा हैं।

शिक्षा मंत्रालय और निर्वाचन आयोग (ईसीआई) के बीच दिनांक 02.11.2023 को समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ साथ, देश के सभी स्कूलों में कक्षा 6 से 12 तक के लिए एनसीएफ के अंतर्गत पाठ्यचर्या रूपरेखा में व्यवस्थित तरीके से मतदाता शिक्षा और चुनावी साक्षरता का एकीकरण; चुनावी साक्षरता को शामिल करने के लिए एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों को शुरू/अद्यतित करना और राज्य शिक्षा बोर्डों और अन्य बोर्डों को भी ऐसा करने की सलाह देना; कक्षाओं में चुनावी साक्षरता हेतु शिक्षकों को उन्मुख/ प्रशिक्षित करने संबंधी प्रावधान है।

*****